न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 81/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल आयु 52 साल निवासी फुंगणी तहसील सिरोही जिला सिरोही		1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही 2— पटवारी, पटवार हल्का फुंगणी तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :—
1— श्री प्रकाश प्रजापत, वकील प्रार्थी
2— अप्रार्थीगण स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने ।

आदेश

दिनांक 25—6—2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 26—7—2018 को पेश किया । जिसका संक्षिप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम फुगणी पटवार हल्का फुंगणी तहसील सिरोही मे निम्न वर्णित आराजी आई है :—

क.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	किस्म	रकबा हैक्टेयर
1	85	732	गै.मु.चाह	0.0400
2	85	733	चाही 2	1.4800

कुल खसरा नंबर 2 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर

क.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	किस्म	रकबा हैक्टेयर
1	86	513	बारानी 3	2.1500

कुल खसरा 1 कुल रकबा 2.1500 हेक्टेयर

क.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	किस्म	रकबा हैक्टेयर
1	87	29	बारानी 2	1.5000
2	87	512	बारानी 3	0.3600
3	87	722	बारानी 2	1.0400

कुल खसरा 3 कुलरकबा 2.9000 हैक्टेयर

उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी वव अन्य सहखातेदारों का संयुक्त हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि के जमाबंदी इत्यादि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल)दर्ज है, प्रार्थी ने अपने उक्त नाम को सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल राजस्थान राजपत्र मार्च 2, 2017 भाग—7 मे गजट प्रकाशन के नाम परिर्वतन करवा दिया है एवं प्रार्थी क`अब आधारकार्ड ,निर्वाचन पहचान पत्र इत्यादि सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी, जाति मेघवाल" से बने हुये है एवं उक्त युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी कृषि आराजी के जमाबंदी इत्या समस्त राजस्व रेकर्ड मे खातेदार कृषक के रूप मे "नोनाराम पुत्र मालजी जाति —भांबी (मेगवाल) की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल का संशोधन किया जाना न्यायहित मे है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान राजपत्र मे साधारण गजट प्रकाश 2 मार्च 2017 के जरिये अपने सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल "करवाये जाने के कारण तथा तदनुसार प्रार्थी के आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, इत्यादि समस्त दस्तावेज भी उक्त सम्मानजनक 9नाम से बने हुये होने की बिनाय पर प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि के रेकर्ड मे भी खातेदार कृषक के नाम के कॉलम मे " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल का संशोधन किया जाना युक्तियुक्त है अन्यथा प्रार्थी को भविष्य मे बहुविवाद मे उलझना पडेगा । अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी उक्त वर्णित के राजस्व जमाबंदी के खातेदार कृषक कॉलम मे दर्ज " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) " की जगह

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

Continue Page-2

सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल" का संशोधन करने के आदेश फरमावे तथा तदनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने के निर्देश दिलावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्थान राजपत्र दिनांक 20–2–2017 की प्रति निर्वाचन नामावली जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 85 व 86/87 मौजा फुंगणी तहसील सिरोही/प्रार्थी का आधार कार्ड व राशनकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 26–7–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही को नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 4–9–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 2–4–2019 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 183 दिनांक 25–3–2019 के द्वारा जवाब पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने अपने उक्त जवाब के बिन्दु संख्या 1 व मे कथन किया कि ग्राम फुंगणी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 85/86 व 87 के अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि का विवरण सत्य होने से स्वीकार किया है।जवाब के बिन्दु संख्या 3 मे का कथन भी सत्य बताते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम ग्राम फुंगणी के राजस्व रेकर्ड मे नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) दर्ज है तथा प्रार्थी ने उनका नाम राजस्थान राजपत्र के दिनांक 2 मार्च 2017 को साधिकार प्रकाशित अंक संख्या 48 द्वारा गजट मे प्रकाशित करवा दिया तथा प्रार्थी के आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल अंकित है। प्रार्थी का नाम नोनाराम पुत्र मालाजी भांबी (मेगवाल) के स्थान पर नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया जाना सर्वथा उचित होना बताया है।

वकील प्रार्थी ने भी दौराने सुनवाई फार्म नंबर 3 के संलग्न शपथपत्र प्रार्थी के भाई तोलाराम/गणेशराम/व जमाबंदी की प्रति पेश करने से शामिल मिसल किया गया।

विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की अंतिम बहस इस न्यायालय मे दिनांक 10–6–2019 को रखी गई ।

दिनांक 10–6–2019 को इस न्यायालय मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने हाजिर होकर विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी वव अन्य सहखातेदारों का संयुक्त हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि के जमाबंदी इत्यादि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल)दर्ज है/प्रार्थी ने अपने उक्त नाम को सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल राजस्थान राजपत्र मार्च 2/2017 भाग–7 मे गजट प्रकाशन के नाम परिर्वतन करवा दिया है एवं प्रार्थी क`अब आधारकार्ड /निर्वाचन पहचान पत्र इत्यादि सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी/जाति मेघवाल" से बने हुये है एवं उक्त युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी कृषि आराजी के जमाबंदी इत्या समस्त राजस्व रेकर्ड मे खातेदार कृषक के रूप मे "नोनाराम पुत्र मालाजी जाति –भांबी (मेगवाल) की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल का संशोधन किया जाना न्यायहित मे है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान राजपत्र मे साधारण गजट प्रकाश 2 मार्च 2017 के जरिये अपने सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल "करवाये जाने के कारण तथा तदनुसार प्रार्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/इत्यादि समस्त दस्तावेज भी उक्त सम्मानजनक 9नाम से बने हुये होने की बिनाय पर प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि के रेकर्ड मे भी खातेदार कृषक के नाम के कॉलम मे " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल का संशोधन किया जाना युक्तियुक्त है अन्यथा प्रार्थी को भविष्य मे बहुविवाद मे उलझना पडेगा । अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी उक्त वर्णित के राजस्व जमाबंदी के खातेदार कृषक कॉलम मे दर्ज " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) " की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल" का संशोधन करने के आदेश फरमावे । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी के भाई गणेशराम पुत्र मालाजी मेघवाल तथा तोलाराम पुत्र मालाजी मेघवाल निवासीयान फुंगणी द्वारा दिनांक 2–4–2019 को प्रस्तुत अलग अलग शपथपत्र जो नोटरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है का जिक करते हुये कथन किया कि उक्त प्रार्थी के दोनो भाईयों ने कथन किया है कि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 161 के खसरा नंबर 552 रकबा 0.4900 हेक्टेयर ग्राम फुंगणी मे आई हुई है उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा उक्त दोनो भाई

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page-3

वास्तविक नाम नरेन्द्रभाई पुत्र मालारामजी जाति मेघवाल (काबा) है तथा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी गांव फुंगणी मे नही रहता है। जमाबंदी मे हमारे उक्त भाई नोनाराम के गलत दर्ज नाम के सथान पर गजट नोटिफिकेशलन,आधार कार्ड,राशनकार्ड आदि मे नरेन्द्रभाई सही नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर नरेन्द्रभाई किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना प्रार्थी के ने उक्त दोनो भाईयो ने शपथपत्र मे जाहिर किया है।

अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम फुंगणी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 85,86 व 87 के अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि का विवरण सत्य होने से स्वीकार किया है।जवाब के बिन्दु संख्या 3 मे का कथन भी सत्य बताते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम ग्राम फुंगणी के राजस्व रेकर्ड मे नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) दर्ज है तथा प्रार्थी ने उनका नाम राजस्थान राजपत्र के दिनांक 2 मार्च 2017 को साधिकार प्रकाशित अंक संख्या 48 द्वारा गजट मे प्रकाशित करवा दिया तथा प्रार्थी के आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल अंकित है। प्रार्थी का नाम नोनाराम पुत्र मालाजी भांबी (मेगवाल) के स्थान पर नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया जाना सर्वथा उचित होना बताया है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र, संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्थान राजपत्र दिनांक 20–2–2017 की प्रति निर्वाचन नामावली जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 85 व 86,87 मौजा फुंगणी तहसील सिरोही,प्रार्थी का आधार कार्ड व राशनकार्ड व प्रार्थी के भाई गणेशराम व तोलाराम के शपथपत्रों व अप्रार्थी तहसीलदार ,सिरोही के उक्त जवाब का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की उक्त बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षत्यामक मत यह है कि उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी वव अन्य सहखातेदारों का संयुक्त हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि के जमाबंदी इत्यादि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम " नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल)दर्ज है ,प्रार्थी ने अपने उक्त नाम को सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल राजस्थान राजपत्र मार्च 2,2017 भाग–7 मे गजट प्रकाशान के नाम परिर्वतन करवा दिया है एवं प्रार्थी के अब आधारकार्ड ,निर्वाचन पहचान पत्र इत्यादि सम्मानजनक नाम "नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी,जाति मेघवाल" से बने हुये है उक्त कृषि भूमि जो संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी के भाई गणेशराम व तोलाराम ने भी अपने शपथपत्रों मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों का सर्मथन व पुष्टि करते हुये यह कथन किया है कि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 161 के खसरा नंबर 552 रकबा 0.4900 हेक्टेयर ग्राम फुंगणी मे आई हुई है उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा उक्त दोनो भाई सहकृषक भी है। हमारे भाई नोनाराम का बचपन का नाम जमाबंदी मे गलत दर्ज है जबकि सही वास्तविक नाम नरेन्द्रभाई पुत्र मालारामजी जाति मेघवाल (काबा) है तथा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी गांव फुंगणी मे नही रहता है। जमाबंदी मे हमारे उक्त भाई नोनाराम के गलत दर्ज नाम के सथान पर गजट नोटिफिकेशलन,आधार कार्ड ,राशनकार्ड आदि मे नरेन्द्रभाई सही नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर नरेन्द्रभाई किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना प्रार्थी के ने उक्त दोनो भाईयो ने शपथपत्र मे जाहिर किया है। अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने भी जवाब व बहस मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये प्रार्थी का नाम ग्राम फुंगणी के राजस्व रेकर्ड मे नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) दर्ज है तथा प्रार्थी ने उनका नाम राजस्थान राजपत्र के दिनांक 2 मार्च 2017 को साधिकार प्रकाशित अंक संख्या 48 द्वारा गजट मे प्रकाशित करवा दिया तथा प्रार्थी के आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल अंकित है। प्रार्थी का नाम नोनाराम पुत्र मालाजी भांबी (मेगवाल) के स्थान पर नरेन्द्रभाई पुत्र मालाजी मेघवाल राजस्व रेकर्ड मे अंकित किया जाना सर्वथा उचित होना बताया है।

" भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत गलतियों का शुद्विकरण :– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें । "

विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के नाम की गलती को प्रार्थी व हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी के भाई तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही दोनो पक्षों ने उपरोक्तानुसार स्वीकार किया है तथा विचारण प्रकरण की प्रार्थी के नाम की गलती जो कि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपने नाम की दुरूस्ती करवाने मे कानूनी उलझनो का सामना करने के साथ साथ प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page-4

अतः उपरोक्त प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट1956 के तहत विरूद्व स्टेट तहसीलदार, सिरोही का वास्ते रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा फुंगणी पटवार हल्का फुंगणी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 85 खसरा नंबर 732 रकबा 0.0400, खाता नंबर 85 खसरा नंबर 733 रकबा 1.4800, खाता नंबर 86 खसरा नंबर 513 रकबा 2.1500 व खाता नंबर 87 के खसरा नंबर 29 रकबा 1.5000 खसरा नंबर 512 रकबा 0.3600 तथा खसरा नंबर 722 रकबा 1.0400 की वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार कृषक के नाम के कॉलम मे प्रार्थी का दर्ज गलत नाम "नोनाराम पुत्र मालाजी जाति भांबी (मेगवाल) " की जगह सम्मानजनक नाम "नरेन्द्र भाई पुत्र मालाजी जाति मेघवाल संशोधन दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दुरुस्त करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2019 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)